न्यायालय जिला न्यायाधीश, देहरादून।

प्रकीर्ण वाद संख्या 266 वर्ष 2026

श्री सोमनाथ व अन्य बनाम प्रफुल्ल कुमार चमोली

<u>दिनांक 15.07.2026</u>

पुकारा गया।

2. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह उपस्थित हैं। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र 9ख प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र 9ख मय शपथ पत्र 10ग आवेदकगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सम्बन्धित मूलवाद संख्या 239 वर्ष 2007 में विपक्षी द्वारा दिया गया अपना पता अपूर्ण व भ्रामक है। आवेदकगण द्वारा काफी छानबीन के पश्चात अवगत हुआ कि विपक्षी मूलवाद में दर्शित पते के अलावा अन्य पते पर निवास कर रहा है, जिसे अंतरण प्रार्थना पत्र में अंकित किया जाना उचित होगा, ताकि विपक्षी पर समन तामील हो सके। ऐसी परिस्थिति में अंतरण प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ में नाम व पते पक्षकार के पश्चात ''अन्य पता मकान सं0 एच–235 कैलाश विहार, लाडपुर, (रायपुर) जिला देहरादून'' जोड़ा जाय। ऐसी परिस्थिति में संशोधन प्रार्थना पत्र 9ख स्वीकार कर दिया जाय।

4. सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

5. आवेदकगण द्वारा मामले के न्यायोचित निस्तारण हेतु विपक्षी का नवीन पता प्रस्तुत किया गया है, जिसें वह संशोधन के माध्यम से अंतरण प्रार्थना पत्र में जोड़ना चाहता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मामला अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. प्रार्थना पत्र 9ख स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण, अंतरण प्रार्थना पत्र में संशोधन की कार्यवाही आज ही पूर्ण करें। तत्पश्चात संशोधित पक्ष के नवीन पते पर नोटिस जारी हो। पैरवी तीन दिन के भीतर ली जाय। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2026 को पेश हो।

(हरीश कुमार गोयल)
जिला न्यायाधीश,
देहरादून।